

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एसएपी ईआरपी कार्यपरक मॉड्यूल्स की सहायता: राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास,
उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु
अनुरोध (आरएफपी)



प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-39187234 & 39187044

ईमेल: rajiv.ranjan@nhb.org.in, anuj.rastogi@nhb.org.in

शब्दावली

संक्षेपाक्षर	विवरण
AMC	वार्षिक अनुरक्षण लागत
EMD	बयाना जमा राशि
ERV	अमेरिकी डॉलर-भारतीय रूपया विनिमय दर अंतर
HO	मुख्यालय, दिल्ली
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
OEM	मूल उपकरण निर्माता
ORS	ऑनलाइन रिपोर्टिंग समाधान
PBG	कार्य-निष्पादकता बैंक गारंटी
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
RRO	क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय
SLA	सेवा स्तरीय करार
VC	वीडियो कॉन्फ्रेंस

व्याख्या: शब्द आरएफपी, निविदा, बोली को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जायासभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	महत्वपूर्ण जानकारी	4
1	राष्ट्रीय आवास बैंक	5
2	उद्देश्य	5
3	कार्य-क्षेत्र/ प्रदेय	6
4	पैनल की वैधता	8
5	बोलीदाताओं को अनुदेश	8
6	पूर्व योग्यता मानदंड	21

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

महत्वपूर्ण जानकारी

एतद् द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

आरएफपी दस्तावेज निम्न पर उपलब्ध है: <https://nhb.org.in>

विक्रेताओं से अनुरोध है कि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और पूर्व-निर्धारण मानदंडों की जांच करें। इस आरएफपी के उत्तर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि आरएफपी दस्तावेजों के निबंधन, शर्तों एवं निहितार्थों को पूरी तरह समझकर सावधानी पूर्वक पढ़कर एवं जांच कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए और हस्तांतरणीय नहीं है। आरएफपी दस्तावेज के द्वारा अपेक्षित सभी सूचना प्रस्तुत करने में विफलता या प्रस्तुत प्रस्ताव प्रत्येक पहलु में आरएफपी दस्तावेज के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं होना विक्रेता के जोखिम पर होगा और इसके कारण रा.आ.बैंक में प्रस्तुत इनके प्रस्ताव निरसत हो सकते हैं। आरएफपी प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई सूचना झूठी / धोखाधड़ीपूर्ण / बुरे इरादे के रूप में पाई जाती है, तो रा.आ.बैंक के पास प्रस्ताव को अस्वीकार करने और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को विलंब के रूप में घोषित किया जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

रा.आ.बैंक किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	02-09-2019
2.	बोली पूर्व बैठक (तिथि व समय)	26-09-2019 : 1100 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि व समय	10-10-2019 : 1800 बजे
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	10-10-2019 : 1800 बजे
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	15-10-2019 : 1500 बजे
6.	बयाना जमा राशि	25,000/- रु.
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक- प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक कोर -5ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबीटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 -

Note:

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थल की सूचना किसी बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी प्रमाण/कंपनी के अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत सभी डेटा/सूचना देना आवश्यक है एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के तौर पर समझा जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

1. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के अंतर्गत हुई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं।

2. उद्देश्य:

इस आरएफपी का उद्देश्य राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट एवं वेब पोर्टलों के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग एवं अनुरक्षण तथा इसकी जरूरतों के अनुसार संबंधित कार्य तथा जब और जहां जरूरत हो हेतु पैनल तैयार करने हेतु योग्य विक्रेताओं से प्रस्ताव प्राप्त करना है। वर्तमान में, रा.आ.बैंक में निम्नलिखित वेबसाइट एवं पोर्टल हैं:

क) वेबसाइट

ख) प्रधानमंत्री आवास योजना- ऋण आधारित सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस)

ग) शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डेटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स)

घ) ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली (ऑरमिस)

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- ड) रिवर्स मॉर्टगेज ऋण (आरएमएल)
- च) एनएचबी रेजीडेक्स
- छ) सैप

3. कार्यक्षेत्र/प्रदेय:

3.1 इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का उद्देश्य भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) हेतु दिशा-निर्देशों के अनुपालन सहित रा.आ.बैंक की वेबसाइट एवं वेब-पोर्टलों के गतिशील और उत्तरदायी डिजाइन के निर्माण एवं अनुरक्षण, विकास एवं प्रबंधन सुधार एवं उन्नयन तथा होस्टिंग हेतु विक्रेताओं के पैनल निर्माण है। वेंडरों के पास सिस्टम पीएचपी, जावा, नेट, ओपन स्रोत, एसक्यूएल, आईआईएस आदि जैसे उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग से अध्ययन, डिजाइन, विकास, सीएमएस, द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिंदी) वेबसाइट/वेब-पोर्टल/वेब समर्थित एप्लीकेशन के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण में अनुभव होना चाहिए।

3.2 पात्र वेंडरों द्वारा प्रस्तुत आरएफपी एवं तकनीकी बोलियों में निर्दिष्ट योग्याता-पूर्व मानदंड (खंड सं. 7) और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड (खंड सं. 5.9) के आधार पर, रा.आ.बैंक दो वर्ष की शुरुआती अवधि हेतु इस कार्य हेतु चुनिंदा वेंडरों का एक पैनल तैयार कर सकता है। इस अवधि को आगे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार, रा.आ.बैंक वैधता अवधि के दौरान पैनल में शामिल वेंडरों से परियोजना के मूल कार्य क्षेत्र निर्दिष्ट करते हुए इस उद्देश्य (लोगो डिजाइन करने, फ्लैश प्रस्तुतीकरण आदि सहित) हेतु वाणिज्यिक बोली आमंत्रित करेगा और सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक बोलियों के आधार पर कार्य/कार्य आदेश देगा। कार्य सौंपा गया वेंडर संतोषजनक वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और नई प्रौद्योगिकियों और विकासों पर कार्य करने की उनकी प्रतिभा के अधीन होगा। मोटेतौर पर, कार्यक्षेत्र को नीचे निर्दिष्ट किया गया है। जैसे और जब वेंडर को डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण का कार्य सौंपा जाता है, वह रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब-पोर्टलों और वेब/मोबाइल एप्लीकेशन/पोर्टल का अध्ययन एवं विश्लेषण करेगा और अधिक कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए समाधान लागू करेगा।

गतिशील, परिष्कृत अनुकूलित द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिंदी) वेबसाइट और वेब-पोर्टल तथा वेब/मोबाइल एप्लीकेशन/पोर्टल समाधान/वेब-डिजाइन का डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग, प्रशिक्षण एवं अनुरक्षण-

- i. **उच्च स्तरीय डिजाइन/आर्किटेक्चर दस्तावेज:** वेब आधारित एप्लीकेशन का डिजाइन, विकास एवं उन्नयन तथा ई-फॉर्म, मोबाइल सक्षमता, एसएमएस आदि जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण।
- ii. **रा.आ.बैंक की वेबसाइट और वेब-पोर्टल, वेब/मोबाइल एप्लीकेशन आदि और इनके निरंतर अपडेट का शीघ्र एवं उचित अनुरक्षण:** यदि कोई लाइव फीड, सोशल मीडिया सामग्री हो तो उनके सहित अप-टू-डेट प्रगति एवं वर्तमान स्थिति, मीडिया रिपोर्ट को प्रदर्शित करने एवं पुरानी सामग्रियों आदि के स्वतः आवधिक संग्रह हेतु

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

वेबसाइट/वेब-पोर्टल की सामग्री प्रबंधन प्रणाली लागू करना।

- iii. नई सामग्री का विकास और रा.आ.बैंक की वेबसाइट और वेब-पोर्टल, वेब/मोबाइल एप्लीकेशन, आदि की मौजूदा सामग्रियों का संपादन एवं प्रूफ रीडिंग।
- iv. रा.आ.बैंक को जब और जैसे जरूरत हो उसके अनुसार भारत में अवस्थित सर्वर/सर्वरों (कम से कम 99% अपटाइम के साथ) में रा.आ.बैं की वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि की होस्टिंग एवं उनके उन्नयन हेतु उत्तरदायी। प्रत्येक के लिए 500 जीबी के हासिंग स्पेस के साथ प्राथमिक एवं बैकअप सर्वर के माध्यम से होस्टिंग किया जाएगा।
- v. रा.आ.बैंक को सोर्स कोड उपलब्ध कराना एवं वेबसाइट, वेब-पोर्टल और वेब/मोबाइल एप्लीकेशन के उन्नयन पैच/जानकारी को नियमित रिकॉर्ड करना एवं इनकी आवधिक समीक्षा को प्रबंधित करना।
- vi. वेबसाइट, वेब-पोर्टल ट्रैफिक की निगरानी और ट्रेकिंग तथा रा.आ.बैंक द्वारा जब और जैसे आवश्यकता हो तथा नियमित आधार पर डाटा बैकअप/संग्रह प्रक्रिया करना।
- vii. रा.आ.बैंक की कारोबार निरंतरता योजना में सहायता।
- viii. निष्पादित की गई परियोजना हेतु मैनुअल एवं दस्तावेज पूरा करना- यूजर मैनुअल/एसओपी, तकनीकी मैनुअल आदि और यूजर मैनुअल के साथ परियोजना के सफल निष्पादन पर रा.आ.बैंक के अवधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- ix. यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ऑन साइट सहायता के साथ वेबसाइट, वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि का वार्षिक अनुरक्षण एवं पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से ऑफ-साइट सहायता, तकनीकी सतायता, अनुरक्षण एवं अनुपालन प्रदान करना।
- x. नियमित अंतराल पर रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि के कार्य करने की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट, कार्य-निष्पादन जांच रिपोर्ट, सुरक्षा जांच रिपोर्ट, यूआई प्रयोज्य रिपोर्ट, परिनियोजन स्क्रिप्ट आदि की सुविधा प्रदान करना एवं बनाए रखना। रा.आ.बैंक के लेखा परीक्षा टिप्पणियों और वेबसाइट, वेबपोर्टल, वेब-एप्लीकेशन आदि से संबंधित उपयोगकर्ता फीडबैक पर अनुपालन उपलब्ध कराना।
- xi. सुनिश्चित करना कि वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि संपूर्ण मोबाइल कॉम्पैटीबिलिटी के साथ भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईडीडब्ल्यू) हेतु दिशा-निर्देशों <http://guidelines.gov.in/> का अनुपालन हो रहा है।
- xii. वेबसाइट, वेबपोर्टल आदि से संबंधित अन्य कार्य, यदि आवश्यक हो तो। एएमसी अवधि के दौरान, यदि कार्य के दायरे में विविधता है, तो तैनात किए गए व्यक्ति के अलावा एक अलग कुशल मैनु पावर की आवश्यकता होती है तो चयनित एजेंसी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के रा.आ.बैंक को अपेक्षित रिसोर्स व्यक्ति प्रदान करना होगा।

अन्य बातों के साथ-साथ अधिक कुशल और प्रभावी कामकाज में निम्नलिखित शामिल हैं-

- वेबसाइट/वेबपोर्टल पर संचारी ढंग से अधिकतम जानकारी संकलित करना।
- रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब पोर्टलों को देखने में अधिक आकर्षक, गतिशील और मूलतः बनाना।
- आसान नेविगेशन के साथ रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेबपोर्टल आदि को तुरंत लोडिंग को सक्षम बनाना।
- रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि को सभी आम वेब-ब्राउजर के अनुकूल बनाना

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि हेतु बिल्ट-इन सर्च इंजन प्रदान करना।

अन्य

फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन- चयनित वेंडर रा.आ.बैंक की जरूरत के अनुसार फ्लैश प्रस्तुतीकरण भी तैयार करेगा। फ्लैश प्रस्तुतीकरण रा.आ.बैंक द्वारा यथा अपेक्षित किसी भी अन्य वेबसाइट के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत हो जानी चाहिए। रा.आ.बैंक को जब और जैसे जरूरत हो तो फ्लैश प्रस्तुतीकरण में स्पीच/व्यॉस रिकॉर्डिंग और थीम म्यूजिक विशेषता भी समावेशित होनी चाहिए।

लोगो डिजाइन- चयनित वेंडर रा.आ.बैंक की वेबसाइट में लगाने हेतु लोगो भी डिजाइन करेगा।

3.3 चयनित वेंडर को खासतौर पर रा.आ.बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में वेबसाइट/वेबपोर्टल डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन आदि हेतु उपयुक्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल वाले समर्पित ऑन-साइट प्रतिनिधि तैनात करना होगा।

3.4 चयनित वेंडर को सुनिश्चित करना होगा कि रा.आ.बैंक की वेबसाइट/वेब-पोर्टलों की 24x7 आधार पर निगरानी की जा रही है और आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और रा.आ.बैंक द्वारा जब और जैसे जरूरत हो, सेवा प्रदान की जाती है। वेंडर का प्रतिनिधि रा.आ.बैंक की वेबसाइट, वेब-पोर्टल आदि के ब्रेकडाउन, खराब होने आदि सहित किसी भी आपातकालीन घटना के मामले में अपने मोबाइल पर पहुंच योग्य होना होगा और त्वरित संभव समय में समाधान हेतु उपयुक्त संसाधन तैनात करना होगा।

4. पैनल की वैधता:

पैनल की वैधता पैनल तैयार करने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी। रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार, पैनल की वैधता को आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

5.1 सामान्य:-

- यह निविदा रा.आ.बैंक द्वारा जैसे और जब जरूरत हो, वेब-सुरक्षा और अन्य अनुपालन, लोगो डिजाइन एवं फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन के साथ रा.आ.बैंक की वेबसाइट एवं वेब-पोर्टलों के गतिशील और उत्तरदायी डिजाइन तैयार करने एवं अनुरक्षण, विकास एवं प्रबंधन, सुधार एवं उन्नयन हेतु वेंडरों का पैनल तैयार करने हेतु हैं। वाणिज्यिक कोटेशन केवल आवश्यक आधार पर पैनल विक्रेताओं से मंगवाए जाएंगे। रा.आ.बैंक विक्रेता की सेवा को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर बिना कोई कारण बताए किसी भी विक्रेता के पैनल को रद्द करने या किसी भी विक्रेता को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उस स्थिति में, रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक के पास जमा की गई पैनल विक्रेता की ईएमडी राशि को भी जब्त कर सकता है।
- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसी भी बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा-पूर्व अनुबंध पैक्ट को छोड़कर कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। बोलियों का मूल्यांकन एवं उसे अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान करने के बाद, प्रमाणिकता पैक्ट सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले निश्चित करार का हिस्सा बनेगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट प्रस्तुत की गई बोली के संबंध में उक्त अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा प्रतिबद्ध किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र विक्रेता(ओं) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: rajiv.ranjan@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187234	श्री अनुज रस्तोगी उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: anuj.rastogi@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187044
--	---

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों से सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

5.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 24-09-2019 को 18.00 बजे से पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

5.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.5 मिटाना अथवा संशोधन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। रा.आ.बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

5.9 मूल्यांकन मानदंड

फर्मों से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उनकी तकनीकी दक्षताओं के आधार पर किया जाएगा। केवल अर्हताप्राप्त तकनीकी स्कोर वाली फर्मों को ही पैनल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। प्रस्ताव उद्देश्य हेतु तिथि रा.आ.बैंक द्वारा बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड और बिंदु प्रणाली निम्नानुसार है:

अधिकतम अंक- 100

	मानदंड-वार अंक	(अधिकतम अंक)
1) वेबसाइट और वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में बोलीदाता का विशिष्ट अनुभव	प्रकृति में गुणात्मक	अधिकतम अंक 10
● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट से संबंधित 6 या उससे अधिक कार्य आदेश	10	
● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट से संबंधित 3 से अधिक लेकिन ≤ 5 कार्य आदेश	06	
● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट से संबंधित तीन कार्य आदेश तक	03	
2) वेबसाइट और वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में मौजूदा वैध संविदाओं के संबंध में बोलीदाता का अनुभव		अधिकतम अंक 10

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

<ul style="list-style-type: none"> ● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 6 से अधिक मौजूदा वैध संविदा ● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 4-5 मौजूदा वैध संविदा ● भारत में सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट में 3 तक मौजूदा वैध संविदा 	10 06 03	
<p>3) ग्राहकों के द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रमाणपत्र (वेबसाइट और वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग) (वर्तमान होना चाहिए - पिछले 5 वर्षों का केवल संदर्भ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● छह या उससे अधिक ग्राहकों के द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रमाणपत्र ● 3-5 ग्राहकों के द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रमाणपत्र ● 1-2 ग्राहकों के द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रमाणपत्र 	10 06 03	अधिकतम अंक 10
<p>4) कारोबार में होने का ट्रैक (वेबसाइट और वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 7 या अधिक वर्ष से कारोबार में ● 4-6 वर्षों से कारोबार में ● 3-4 वर्षों से कारोबार में 	10 06 03	अधिकतम अंक 10
<p>5) “फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन” और “लोगो डिजाइन” से संबंधित किया गया काम</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5 से अधिक फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन एवं लोगो डिजाइन ● 3-5 फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन एवं लोगो डिजाइन ● कम से कम 2 फ्लैश प्रस्तुतीकरण डिजाइन एवं लोगो डिजाइन 	10 06 03	अधिकतम अंक 10
<p>6) वेब-डिजाइन, विकास प्रबंधन क्षेत्रों हेतु आईएसओ प्रमाणन या सीएमएम लेवल-II प्रमाणन</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यदि हां 	10	अधिकतम अंक 10

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

<p>7) पिछले 3 वर्षों में औसतन टर्नओवर</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 करोड़ से 5 करोड़ रू. ● 5 करोड़ से 8 करोड़ रू. ● 8 करोड़ से 10 करोड़ रू. ● 10 करोड़ या उससे अधिक 	<p>04 06 08 10</p>	<p>अधिकतम अंक 10</p>
<p>8) घरेलू और वैश्विक संस्थानों के समान वेबसाइटों, वेब-पोर्टलों के अनुसरण में, रा.आ.बैंक के वेबसाइट एवं वेब-पोर्टलों हेतु सुझाए गए विनिर्देश</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रणाली अपेक्षा विनिर्देश ● कारोबार अपेक्षा विनिर्देश ● कार्यात्मक अपेक्षा विनिर्देश 	<p>04 03 03</p>	<p>अधिकतम अंक 10</p>
<p>9) वेबसाइट और वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण, लोगो डिजाइन, फ्लैश प्रस्तुतीकरण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि पर प्रस्तुतीकरण/प्रदर्शन।</p>	<p>प्रकृति में गुणात्मक</p>	<p>अधिकतम अंक 20</p>

नोट: संगठन जिसके पास अपने पेरोल पर न्यूनतम 1000 कर्मचारियों के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत वार्षिक कुल कारोबार है और बंगलौर एवं हैदराबाद सहित भारत के सभी मेट्रो शहरों में कार्यालय हैं, को इस आरएफपी के लिए बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

बोलीदाताओं को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंडों के एवज में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी, जिनके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।

पैनल तैयार करने हेतु बोली के लिए न्यूनतम योग्यता स्कोर 70 होगा। तथापि बैंक कट ऑफ अंक को कम करने का अधिकार रखता है यदि पर्याप्त संख्या में बोलियाँ ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम स्कोर के साथ योग्य नहीं हैं।

एनएचबी के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली, वितरण बिंदु और वेटेज को संशोधित करने का अधिकार है; यदि ऐसा करना आवश्यक लगता है।

5.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देश यदि कोई हो, का

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

पालन करें)

1. अनुलग्नक I में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण;
3. अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुलग्नक IV में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलन की सूची, यदि कोई हो;
5. यथा निर्दिष्ट प्रारूप में तकनीकी बोली कवरिंग पत्र: अनुलग्नक V;
6. अनुलग्नक VI में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में तकनीकी बोली प्रारूप;
7. अनुलग्नक VII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक VIII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में सक्षमता पत्र;
9. अनुलग्नक VIII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रमुख कार्मिक का सीवी
10. अनुलग्नक IX (संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए) में निर्धारित प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट (जहां भी लागू हो)।

नोट: आरएफपी और ईएमडी राशि के बिना बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये। रा.आ.बैंक खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

(ख) भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा **अनुलग्नक VII** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग) यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

(घ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ङ) अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।

(च) अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि पैनल के दो वर्ष बाद वापस कर दी जाएगी।

(छ) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता है;
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैकट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

5.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह महीने के लिए बोली वैध रहेगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर जिम्मेदार के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि समय को सभी प्रतिभागियों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

5.14 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

बोली को यहाँ "राष्ट्रीय आवास बैंक के वेबसाइट/वेब-पोर्टल के डिजाइन, विकास, अनुरक्षण एवं होस्टिंग हेतु पैनल के प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

मूल बोली पक्की स्याही में टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

5.15 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे :

महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए। बोलीदाता मुख्य लिफाफे में अर्हता-पूर्व मानदंड की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ पैनल हेतु प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर “राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो रा.आ. बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

5.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ. बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5.17 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

5.18 रा.आबैंक द्वारा तकनीकी बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:
राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003
- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझता है, की घोषणा बोली खोलने के समय की जाएगी।

5.19 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.20 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

5.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) कर दिये जाएंगे।

5.22 बोलीदाताओं को निर्देश:

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

5.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास नई दिल्ली-एनसीआर में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

5.24 मैनुअल/ड्रॉइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

5.25 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

5.26 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं हैं तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

5.27 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

5.28 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.29 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.30 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

5.31 कानूनों का अनुपालन

क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.32 बौद्धिक संपदा अधिकार

पैनल विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

- (क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- (ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

5.33 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

- (क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल अर्जित/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।
- (ग) उचित अवधि के लिए रा.आ.बैंक द्वारा रोक।

6. योग्यता-पूर्व मानदंड

1. बोलीदाता कम से कम 3 वर्षों के लिए भारत में वेबसाइट/वेब-पोर्टल के विकास एवं अनुरक्षण के कारोबार में लगा होना चाहिए (साक्ष्य संलग्न करें)
2. बोलीदाता के पास भारत में कम से कम तीन बैंक, वित्त संस्थान, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बड़े कॉर्पोरेट में वेब-पोर्टल/वेबसाइट विकसित करने का अनुभव होना चाहिए।
3. बोलीदाता की वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वित्त वर्ष में कम से कम 3 करोड़ ₹. होनी चाहिए (लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रति संलग्न करें)।
4. बोलीदाता के पास उनक रोल पर न्यूनतम 50 कंप्यूटर पेशेवर होने चाहिए। बोली दस्तावेजों में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के नाम, प्रोफाइल और अनुभव स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाना चाहिए।

नोट 1: बोलीदाताओं को उपर्युक्त मानदंडों की योग्यता स्थापित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना है।

नोट 2: सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को केवल तकनीकी मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। अन्यथा बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट और वेब पोर्टल के डिजाइन, विकास, उन्नयन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**